"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मई 2005—ज्येष्ठ 10, शक 1927

वित्त तथा योजना विभाग

(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/11/2005/वाक/पांच (31).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 10/16/2002/वाक/पांच (16) दिनांक 12-2-2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है.

यह संशोधन दिनांक 1-6-2005 से प्रभावशील होगा.

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (3) में अंक "2" के स्थान पर अंक "1" प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक एफ 10/11/2005/वाक/पांच (31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/11/2005/वाक/पांच (31), दिनांक 31-5-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मिश्र, सचिव.

Raipur, the 31st May 2005

NOTIFICATION

No. F 10/11/2005/CT/V (31).—In exercise of the powers conferred by Section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby makes the following amendment in notification number F-10-16/2002/CT/V (16) dated 12-2-2002.

This amendment shall come into force with effect from 1-6-2005.

AMENDMENT

In the said notification, in column (3) against serial number 1 for the figure "2" the figure "1" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. S. MISRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.